उत्तराखण्ड शासन
खेलकूद अनुभाग
संख्याः–729/VI-3/2023–1(16)2006
देहरादून : दिनांक 30 अगस्त, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, ''उत्तराखण्ड खेल विभाग (राजपत्रित) सेवा'' में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात :–

उत्तराखण्ड, खेल विभाग (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2023

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम ''उत्तराखण्ड खेल विभाग (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2023'' है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तराखण्ड खेल विभाग (राजपत्रित) सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'क' और समूह 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें 3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में :–

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से उत्तराखण्ड के ''राज्यपाल'' अभिप्रेत हैं;

(ख) ''भारत का नागरिक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो ''भारत का संविधान'' के भाग–II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है ;

(ग) ''आयोग'' से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, अभिप्रेत है;

(घ) ''संविधान'' से भारत का संविधान अभिप्रेत है;''

(ड) ''सरकार'' से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार

1. अपर सचिव, कार्मिक/सदस्य, नियमावली प्रकोष्ठ
2. अपर सचिव, न्याय/सदस्य, नियमावली प्रकोष्ठ
3. अपर सचिव, वित्त/सदस्य, नियमावली प्रकोष्ठ

अभिप्रेत है ;

(च) ''राज्यपाल'' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(छ) ''सेवा का सदस्य'' इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवत नियमावली या आदेशों के अधीन मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

(ज) ''सेवा'' से उत्तराखण्ड खेल विभाग (राजपत्रित) सेवा अभिप्रेत है;

(झ) ''मौलिक नियुक्ति'' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो; तथा

(ञ) ''भर्ती का वर्ष'' से किसी कलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि उपनियम–(1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाए, उतनी होगी, जो परिशिष्ट ''क'' में दी गयी है : परन्तु, यह कि –

(i) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(ii) राज्यपाल ऐसे स्थाई या अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भर्ती का स्रोत 5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(1) अपर निदेशकः– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में **चार वर्ष** की सेवा तथा अपने संवर्ग (राजपत्रित सेवा) में कुल 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, 'श्रेष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(2) संयुक्त निदेशक :– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निदेशको में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में **पॉच वर्ष** की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए 'ज्येष्ठता' के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(3) उप–निदेशक :– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक निदेशक में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में **सात वर्ष** की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये 'ज्येष्ठता' के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(4) सहायक निदेशक :– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे जिला क्रीड़ा अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में **सात वर्ष** की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए 'ज्येष्ठता' के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(5) जिला क्रीड़ा अधिकारी :–

(क) पचास प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(ख) पचास प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप क्रीड़ा अधिकारियों में से जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में **सात वर्ष** की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार–अर्हताएं

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका अथवा केनिया, युगाण्ड़ा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये भी उप पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा :

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से संबंधित है तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

<u>टिप्पणी</u> :– जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे किसी परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उनके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हताएँ 8. सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिए :–

पद	अर्हता
जिला क्रीड़ा अधिकारी	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। (2) एक खिलाड़ी के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में टीम का प्रतिनिधित्व किया हो (3)(i) एन0आई0एस0 संस्थान से ''डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग'' नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला, भारतीय खेल प्राधिकरण, नेताजी सुभाष साउर्थन सेन्टर, बैंगलोर, भारतीय खेल प्राधिकरण, नेताजी सुभाष ईर्स्टन सेन्टर, कलकत्ता, भारतीय खेल प्राधिकरण, त्रिवेन्द्रपुरम <u>या</u> **(ii)** लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, (डीम्ड यूनिवर्सिटी), ग्वालियर से ''पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंन स्पोर्ट्स कोचिंग'' (PGDSC) डिप्लोमा।'' <u>या</u> **(iii)** स्वर्णिम गुजरात खेल विश्वविद्यालय गॉधीनगर से ''पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंन स्पोर्ट्स कोचिंग'' (PGDSC) डिप्लोमा।''

अधिमानी अर्हताऐं 9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा; जिसने –

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, <u>या</u>

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' अथवा ''सी'' प्रमाण–पत्र हो, <u>या</u>

(तीन) अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में एक खिलाड़ी के रूप में प्रतिभाग किया हो।

आयु 10. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलैण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाय, उस वर्ष की पहली जुलाई की उतनी न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली है और अधिकतम आयु प्राप्त न की हो जैसी समय–समय पर निर्धारित की जाये :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

चरित्र 11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिये सर्वथा उपयुक्त हो, नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध से सम्बद्ध सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 12. ऐसा पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक पति जीवित हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नही होगे :

परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण है, तो वह व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक स्वस्थता 13. . (1) किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो।

(2) किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदत करने से पूर्व उससे सेवा में अन्य पदो के मामले में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड II, भाग III में अध्याय– III में समाविष्ट मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है ;

परन्तु यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों की नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग–पांच–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा 14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियां तथा नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती द्वारा 15. (क) आयोग के माध्यम से तत्समय विहित समय–समय पर यथा–संशोधित नियमावली/यथा–प्रक्रिया/सुसंगत नियमों के अर्न्तगत प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जायेगी।

टिप्पणी :–प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम (Syllabus) और नियम ऐसे होंगे, जिन्हे आयोग समय–समय पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विहित किये जायेंगे।

आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया (ख) जिला क्रीड़ाधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथा–संशोधित ''उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श प्रोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003'' के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के परामर्श से चयन द्वारा पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़कर की जायेगी।

लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया 16. (1) अपर निदेशक के पद पर पदोन्नति, उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 2002 एवं समय–समय पर यथा–संशोधित प्रावधानों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

(2) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक के पदों पर पदोन्नति निम्नवत् विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जायेगी :–

(क)	प्रमुख सचिव/सचिव, खेल विभाग, उत्तराखण्ड शासन	– अध्यक्ष
(ख)	प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून न हों।	– सदस्य

(ग) निदेशक, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून। – सदस्य

(घ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि अधिकारी जो संयुक्त सचिव से अन्यून न हों । – सदस्य

टिप्पणी–

(i) उक्त खण्ड (क) एवं खण्ड (ख) में, वर्णित जो प्रमुख सचिव/सचिव ज्येष्ठ होगा वह विभागीय चयन समिति की अध्यक्षता करेगा।

(ii) अनुसूचित जाति के एक प्रतिनिधि को प्रमुख सचिव/सचिव, खेल द्वारा नामित किया जायेगा।

संयुक्त चयन सूची 17. यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है, तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी, जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति का होगा।

भाग–छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थाईकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 18. (1) **उपनियम (2)** के अध्याधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें उनके नाम नियम 14, 15 तथा 17 के यथास्थिति, के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी वर्ष भर्ती नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों स्रोतों द्वारा की जानी है तो नियमित नियुक्तियॉ तब तक नही की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाये और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न की गयी हो।

(3) यदि किसी चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर या उस क्रम में यथा–स्थिति जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा :

परन्तु यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूची में नियुक्ति कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष के लिये या अगला चयन किये जाने तक इनमें जो भी पहले हो की जायेगी और जहॉ पद आयोग की परिधि के अन्तर्गत आता हो वहॉ उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग विनियम, के प्रावधान लागू होंगे।

टिप्पणी :– पदोन्नति हेतु ''उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ''ज्येष्ठता'' एवं ''श्रेष्ठता'' के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनाई जाने वाली प्रकिया नियमावली, 2009 के उपबन्ध लागू होंगे।

परिवीक्षा **19.**

(1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामलों में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे :

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति अधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्टि संवर्ग में सम्मिलित किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण 20.

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि –

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया गया हों।

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित हैं तथा

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा योग्य है।

(2) जहां समय–समय पर यथा–संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है। यह घोषणा करते हुए कि संबधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 21.

इस नियमावली के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा–संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

भाग–सात–वेतन इत्यादि

वेतनमान 22.

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान परिशिष्ट ''क'' में दर्शाये गये है।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23. (1) वित्तीय मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ;

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय, तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत वित्तीय मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय, तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

24. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अर्न्तगत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तो में शिथिलता 26. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन के किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है तो वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम को अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति 27. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(अभिनव कुमार)
विशेष प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट "क"

(नियम–4 का उपनियम–(2) एवं नियम–21 का उपनियम–(2) देखिये)

क्र0सं0	पद का नाम	वेतन लेवल	पदों की संख्या
1	2	3	4
1	अपर निदेशक	वेतन लेवल–13 (₹123100–215900)	01
2	संयुक्त निदेशक	वेतन लेवल–12 (₹78800–209200)	02
3	उप निदेशक	वेतन लेवल–11 (₹67700–208700)	03
4	सहायक निदेशक	वेतन लेवल–10 (₹56100–177500)	04
5	जिला क्रीड़ा अधिकारी	वेतन लेवल–07 (₹44900–142400)	13

आज्ञा से,

(अभिनव कुमार)
विशेष प्रमुख सचिव।